

198627 - क्या महिला के लिए उस लड़की के पति के साथ यात्रा करना जायज़ है जिसे उसने गोद ली है?

प्रश्न

मेरे पिता ने अपने भाई की बेटी (भतीजी) को उस समय से गोद लिया हुआ है जब वह दस साल की थी। वह और मेरी माँ दोनों उसके प्रति पूर्ण रूप से माता पिता का कर्तव्य निभाते हैं और उसे अपनी बेटी समझते हैं।

क्या मेरी माँ के लिए इस गोद ली हुई लड़की और उसके पति (लड़की के पति) और उनके बच्चों के साथ उम्रा करने लिए यात्रा करना संभव है?

विस्तृत उत्तर

गोद लेने से शरई वंश (यानी शरीअत के दृष्टिकोण से वंश) साबित नहीं होता है। इस मुद्दे का वर्णन प्रश्न संख्या : (188161) के उत्तर और प्रश्न संख्या : (6102) के उत्तर में बीत चुका है। तथा इससे महरमियत (महरम होना) भी साबित नहीं होती है, सिवाय इसके कि वहाँ महरम बनाने वाला दूध पिलाना पाया जाता हो। तथा प्रश्न संख्या : (129988) का उत्तर देखें।

इस आधार पर, आपके चाचा की बेटी - जिसे आपके पिता ने गोद लिया हुआ है - का पति आपकी माँ के लिए महरम नहीं समझा जायेगा ; क्योंकि उसकी पत्नी (आपके चाचा की बेटी) आपकी माँ की लड़की नहीं है, तथा - इसी तरह - उसके व्यस्क बेटे आपकी माँ के लिए महरम नहीं हैं ; अतः ऐसी स्थिति में उसके लिए उनके साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

और अल्लाह तआला की सबसे अधिक ज्ञान रखता है।